[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 2019

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "हाई टिनेशिटी पोलिएस्टर यार्न (एसटीपीवाई)" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5402 20 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डीजीएडी, दिनांक 24 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के मामले में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
(ii) विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि. 620 (अ), दिनांक 09 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया था और जहां कि अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डीजीएडी, दिनांक 24 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में, प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में डीए को निर्यातकों के नाम में परिवर्तन किए जाने के लिए निम्निलखित अनुरोध प्राप्त हुए थे:-

(i) "ह्यूसंग कॉर्पोरेशन, कोरिया" ने निर्यातक कंपनी का नाम बदलकर "ह्यूसंग एडवांस मैट्रीरियल कॉर्पोरेशन (एचएएमसी)" रखे जाने का अनुरोध किया है क्योंकि 01 जून, 2018 से इस ह्यूसंग कॉर्पोरेशन की कार्पोरेट संरचना बदल गई है;

(ii) "झेझियांग गुझियांगडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि." ने अनुरोध किया है कि इस निर्यातक कंपनी का नाम बदलकर "झेझियांग गुझियांगडाओ पोलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड" कर दिया जाए क्योंकि जून, 2017 में इसका आंतरिक पुनर्गठन हो गया है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी संशोधन अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डीजीएडी (पार्ट.) 1., दिनांक 07 जनवरी, 2019, जिसे दिनांक 07 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:-

(i) ह्यूसंग कॉर्पोरेशन के मामले में इस संगठन में मैसर्स ह्यूसंग एडवांस मैट्रीरियल कॉर्पोरेशन (एचएएमसी) नामक एक नए निकाय के सृजन की आवश्यकता पैदा हो गई है और इस प्रकार यहां उत्पादक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यहां इसका सामान्य मूल्य अपरिवर्तित रहा है;

(ii) झेझियांग गुझियांगडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि. के मामले में आंतरिक पुनर्गठन के कारण इसके नाम में परिवर्तन की जरूरत पड़ी है । यहां उत्पादक वही है और वही निर्यातक भी बनना चाहता है;

(iii) ये दोनों अनुरोध केवल नाम बदले जाने की श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामित्व के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इससे व्यापार की मूल प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उन्होंने अधिसूचना 6/12/2017-डीजीएडी, दिनांक 24 मई 2018 में उल्लिखित अपने अंतिम निष्कर्षों की शुल्क सारणी में निम्नलिखित परिवर्तन की सिफारिश की है:-

क) क्रम संख्या 1 पर, कॉलम 7 में, निर्यातक अर्थात "ह्यूसंग कॉर्पोरेशन" का नाम बदलकर "ह्यूसंग एडवांस मैट्रीरियल कॉर्पोरेशन (एचएएमसी)" कर दिया जाए;

ख) क्रम संख्या 2 पर, कॉलम 7 में, निर्यातक अर्थात "झेझियांग गुझियांगडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि." का नाम बदलकर "झेझियांग गुझियांगडाओ पोलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड" कर दिया जाए;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि. 620 (अ), दिनांक 09 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ह्यूसंग एडवांस मैट्रीरियल कॉर्पोरेशन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "झेझियांग गुझियांगडाओ पोलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/233/2018-टीआरयू)

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 जुलाई, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 620 (अ), दिनांक 09 जुलाई, 2018 के तहत में प्रकाशित किया गया था ।